न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 51/2015

1. मनजीतसिंह पुत्र श्री अरजनसिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी मटीली राठान तहसील श्रीगंगानगर हाल आबाद 167 गांधीनगर श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. गुरबच्चनसिंह पुत्र श्री अरजनसिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी केयर आफ गुरबच्चन मेडिकल स्टोर सुखाड़िया नगर श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 92ए बाबत घोषणात्मक एवम् बेदखली

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — वादी
2. श्री हसंराज तनेजा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 17-5-17

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 13 एफ बड़ा के खाता संख्या 19/21 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 6 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर किला नम्बर 7/1 में 0.063 कुल 1.581 हैक्टर नहरी भूमि प्रतिवादी व वादी के भाईयों के नाम संयुक्त खाता की खातेदारी दर्ज है, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 0.791 हैक्टर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 17 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 54 में लगभग तीन बीघा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है।

पारिवारिक समझौता दिनांक 01.06.2013 को लिखा गया जिसमें यह तय पाया गया कि मनजीतसिंह हाउसिग बोर्ड का मकान 3/128 श्रीगंगानगर व दुकान वाके सुखाड़िया नगर संख्या 151 श्रीगंगानगर जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 गुरबच्चनसिंह मैडिकल स्टोर का कार्य कर रहा है। वह प्रतिवादी संख्या 1 की होगी। एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दोनों चकों में खातेदारी कृषि भूमि वादी की होगी। उक्त समझौतानामा के बाद प्रतिवादी नें खातेदारी भूमि वादी के नाम से बैयनामा करवाना था परन्तु उसनें आज तक बैयनामा नहीं करवाया समझौतानामा के बाद से ही उक्त भूमि पर वादी शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है।

प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे लालच आ गया है और प्रतिवादी लालच के वशीभूत होकर वादी की काश्त शुद्धा फसल को हड़पना चाहता है। एवम् इसी उद्देशय की पूर्ति के लिये वह वादी को बिना वजह वादग्रस्त आराजी से जबरदस्ती बेदखल करनें की फिराक में है जबकि प्रतिवादी को कानूनन ऐसा करनें का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके कब्जा की आराजी से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करनें का अधिकार नहीं है।

कानूनन किसी भी अतिचारी को धनबल का प्रयोग कर जबरदस्ती बेदखल करनें का कोई अधिकार खातेधारक को नहीं है जबकि प्रतिवादी जो कि राजनैतिक प्रभाव रखता है व धनाढय परिवार से है इस इस कारण वह राजनैतिक प्रभाव व पैसे के बल पर वादी को

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उसके कब्जाशुद्धा आराजी में से जबरदस्त बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करनें पर आमदा है और इस आश्य की पूर्ति से प्रतिवादी व उनके साथ अन्य लोग दिनांक 09.05.2015 को विवादग्रस्त आराजी पर आये और वादी को कहा की वह उसे काश्त शुद्धा फसल को उठानें नहीं देगे और जबरदस्ती उसके बेदखल करेगे की ऐलानियां धमकी दी कि वह कब्जा छोड़ देवे जिस पर वादी नें उन्हे ऐसा न करनें के लिये कहा तो प्रतिवादी इन्कार हो गया जिस पर वादी को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वह बिना न्यायालय की सहायता से मानने वाले नहीं है। इस कारण उक्त वाद प्रस्तुत करनें का वाद हेतुक प्रतिवादी के विरूद्ध वादी को प्राप्त है।

अतः वाद वादी की और से प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन है, कि बहक खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. कि स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादी चक 13 एफ बड़ा, के खाता संख्या 19/21 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 ता 6 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 7/1 में 0.063 कुल 1.581 हैक्टर नहरी चक 17 एफ बड़ा मुरब्बा नम्बर 54 की लगभग 3.00 बीघा जिस पर वादी अरसा कई वर्ष से फसल काश्त करता आ रहा है। पर से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करनें से बाज व ममनू रहे।
2. प्रतिवादी व अन्य वादी की खड़ी फसल व कब्जा से मदाखलत करनें से बाज व ममनू रहे।
3. खर्चा वाद वाद को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबाब पेशन नहीं करनें पर अनेक अवसर प्रदान किये जानें के उपरान्त भी जबाब पेश नहीं करनें पर जबाब बन्द किया गया। पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब पेश कर कथन किया कि राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है राज्य हितो के मध्यनजर निस्तारण हेतु आदेशित है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबाब पेश नहीं करनें तथा राज्य सरकार के जबाब का अवलोकन करनें पर तनकीयात नहीं बनना पाये जानें के कारण साक्ष्य वादी लिये गये। वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के कथनों को ही दोहराते हुए साक्ष्य पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादी के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस अपनें वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जाने का कथन किया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादी के नाम से है, जो बैक के रहन भी है तथा वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि भी वादी के कब्जा काश्त में है, तथा प्रतिवादी द्वारा वाद में वर्णित भूमि वादी को घरेलु बंटवारा में दी गई हो।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 188, 92ए पोषणीय नहीं होनें के कारण खारिज किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र संख्या 67/2015 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2015 के द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है पर्चा डिक्री जारी की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 17-4-17 को हमारें द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राज.स्व)
श्रीगंगानगर